

प्रेसनोट दिनांक 21.03.2025

1. दिनांक 20.03.25 को वादी उ०नि० श्री गोविन्द अग्रवाल थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हरिप्रसाद पुत्र सतईराम नि० चमई का पुरवा थाना खण्डासा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 55/25 धारा 60(1) आब० अधि० भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।